



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245333
CG-DL-E-22042023-245333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1739]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

No. 1739]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 1821(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कां० आ० 455 (अ), तारीख 01 फरवरी 2022, भारत के राजपत्र सं० 436 तारीख 4 फरवरी 2022, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी के परिवहन हेतु आई.एच.बी.लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 15 मार्च 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और श्री प्रमोद शंकर शुक्ला सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला-प्रतापगढ़		राज्य-उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वेनं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर&	एयर&	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
कुण्डा	सलेमपुर ददौरा	92	00	00	47
		90	00	04	14
कुण्डा	सुनियावा	67	00	11	43
कुण्डा	इब्राहिमपुर	20	00	04	44
		24	00	00	33
		42	00	00	50
		45	00	00	12
		48	00	00	70
कुण्डा	बेंधन गोपालपुर	2601	00	03	20
		2458	00	00	96
		2423	00	01	92
		2467	00	00	10
		2472	00	04	19
		2419	00	04	45
		2465	00	03	88
कुण्डा	रैयापुर	1383	00	02	97
		1330	00	09	91

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I - भाग(1)/ई-45874]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 1821(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 455 (E) Dated 1 February 2022 published in the Gazette of the India Gazette No 436 dated 4 February 2022 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its

intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying "Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project" for the transportation of LPG in tehsil Kunda District Pratapgarh In the state of Uttar Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 15 March 2022

And whereas the Shri Pramod Shanker Shukla Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Pratapgarh		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Kunda	Salempur Dadaura	92	00	00	47
		90	00	04	14
Kunda	Suniyawa	67	00	11	43
Kunda	Ibrahimpur	20	00	04	44
		24	00	00	33
		42	00	00	50
		45	00	00	12
		48	00	00	70
Kunda	Bendhan Gopalpur	2601	00	03	20
		2458	00	00	96
		2423	00	01	92
		2467	00	00	10
		2472	00	04	19
		2419	00	04	45
Kunda	Raiyapur	2465	00	03	88
		1383	00	02	97
		1330	00	09	91

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part(1) / E-45874]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.